राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना–पत्र संख्या............26 / 2015..................... जिला ....अजमेर...

उनवान मैसर्स जैन मार्बल सेन्टर, किशनगढ़ जिला अजमेर   बनाम   सहायक आयुक्त, वाणि.कर, किशनग

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुक्म की तामी में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य**	
10 / 04 / 2015	अपीलार्थी द्वारा यह विविध प्रार्थना–पत्र माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1830 / 2014 / अजमेर में पारित किये गये स्थगन आदेश दिनांक 05.12.2014 के सन्दर्भ में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उक्त आदेश से माननीय खण्डपीठ द्वारा प्रकरण में वसूली योग्य मांग राशि रूपये 24,32.146 / – की वसूली की कार्यवाही को स्थगित करते हुए, प्रकरण अपीलीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण तीन माह की अवधि में करें। किन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा तीन माह की अवधि में निस्तारण नहीं किया जा सका है। अतः उनकी स्थगन की सीमा बढ़ाई जावे। अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र पर विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री वी. के. गर्ग एवं विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा की बहस सुनी गयी। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के आदेश दिनांक 05.12.2014 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में वसूली कार्यवाही को अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने की दिनांक तक स्थगित किया गया है। अतः अवधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी कोई विवाद ही नहीं है। फिर भी अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में वसूली योग्य राशि रूपये 24,32,146 / – की वसूली की कार्यवाही को अपील निर्णय तक स्थगित किया जाता है। साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में उनके समक्ष लम्बित अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करना सुनिश्चित करें। उपरोक्तानुसार अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जाता है। 10.04.2015 10.4.2015 **सदस्य** **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** **अजमेर**	